117

माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प उज्जैन जिला उज्जैन म0प्र0 .

प्रकरण क्रमांक 300 /2017 निगरानी . R 300-PBR/17

सागरबाई पति असगरअली जाति नायता मुसलमान ,
निवासी ग्राम मडावदी तहसील खाचरौद जिला उज्जैन
---------- प्रार्थी

-:: विरुद्ध ::-

§1§ विष्णुबाई पिता गंगाराम जाति बलाई ,
निवासी 144 सिंहपुरी उज्जैन जिला उज्जैन म0प्र0 .

§2§ शांतिबाई पति गंगाराम जाति बलाई ,
निवासी ग्राम मडावदी तहसील खाचरौद जिला उज्जैन
---------- प्रतिप्रार्थी .

म0प्र0भु0राज0संहिता की धारा 50 के तहत निगरानी

न्यायालय तहसीलदार तहसील खाचरौद के प्रकरण क्रमांक 146-अ-12/15-16

आदेश दिनाक 1-12-2016 के सीमाकन के विरूद्ध .

माननीय महोदय ,

प्रार्थी की ओर से निम्न निगरानी सेवा मे सादर प्रस्तुत है कि ::-

§1§ यह कि, ग्राम मडावदी , तहसील खाचरौद मे आराजी सर्वे नंबर 337/1 रकबा 0.44हे0 मुमताज पति अंजुम ,337/2 रकबा 0.42हे0, विष्णुबाई पिता गंगाराम ,शांतिबाई पति गंगाराम बलाई , 337/3 रकबा 0.82हे0 सागरबाई पति असगरअली नायता के नाम से वर्तमान रिकार्ड मे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है । प्रार्थी ने न्यायालय तहसीलदार तहसील खाचरौद के प्रकरण क्रमांक 51-अ-27/10-11 मे पारित आदेश दिनांक 23-12-2014 के विरूद्ध न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय खाचरौद के न्यायालय मे एक अपील प्रस्तुत की थी जो कि प्रकरण क्रमांक 4/14-15 पर दर्ज होकर अपील मे दिनांक 22-7-2016 को आदेश पारित कर न्यायालय तहसीलदार तहसील खाचरौद के प्रकरण क्रमांक 51-अ-27/10-11 मे पारित आदेश दिनांक 23-12-2014 को त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया था व राजस्व अभिलेख मे पूर्व स्थिति कायम की जाए , बाबत आदेश प्रदान किया गया था इसप्रकार प्रतिप्रार्थीगण को राजस्व -

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-300-पीबीआर/17 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश व्यास उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.01.19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	